न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 180/2024 तारीख रजू 13-10-2024

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 414/2024

उनवान

भीम सिंह डागुर पुत्र रतन लाल जाति जाट निवासी ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ जिला [illegible]ली(राज0)।

—सायल

बनाम

खिल्लन सिंह पुत्र गुलाब वगै0 जाति जाट निवासी ग्राम साधपुड़िया तहसील वैर जिला [illegible]पुर (राज0)।

—गैरसायलान 04

दिनांक	फर्द अहकाम	
09.10.2024	आज यह प्रार्थना पत्र सायल की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायलान को एकतरफा सुना गया। प्रकरण में विवादित आराजीयात से बेदखल कर मजामत नहीं करने,एवं सायल को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करने, एवं रहन–व्यय नही करने एवं कृषि से अकृषि में किस्म परिवर्तन नहीं करने हेतु गैरसायलान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 841 ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ में आगामी तिथि तक मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वास्ते तलबी गैरसायलान को रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं होने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी पत्रावली दिनांक 11.11.2024 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
	पत्रावली प्रस्तुत आज बार एसोसियेशन द्वारा कार्य स्थगन किया गया है अत. पत्रावली पूर्वनिर्देशानुसार दिनांक......................को पेश हो ।	
	पत्रावली पेश हुई। सायल व सायल वकील उपस्थित। सायल व सा[illegible] तलवाना कराया [illegible] प्रकरण मे [illegible] एवं नोट प्रेस से खारिज [illegible] है। अत: मु.नं. 424/2024 प्रार्थना पत्र T.I. भीमसिंह डागुर बनाम खिल्लन के नोट प्रेस स्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बरान से कम करते हुए दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:16:26 IST
Reason: SelfAttested